अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 90/2012

राज किशोर सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
23.07.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 2201, दिनांक 24.07.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को जिला स्तरीय जांच दल सं०–05 श्री मुन्नी दास, जिला कल्याण पदाधिकारी,सारण,छपरा के द्वारा राजकिशोर सिह, ज०वि०प्र०वि, अनु० सं०–31/07, पंचायत–बंगरा, प्रखंड–मशरक की दुकान जांच की गई थी। जाँच के कम में पाया गया कि विक्रेता के द्वारा नात्र 2 लीटर किरासन तेल का वितरण किया जाता है। उक्त अनियमितता के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 590/गो०,दिनांक 22.03.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.01.2012 को जिला स्तर के कोई भी पदाधिकारी विक्रेता की दुकान पर नहीं गये थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विक्रेता की अनुज्ञप्ति संख्या 1/08 है, जो सूचना पट्ट पर स्पष्ट रूप से अंकित है। जांच पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति संख्या	

1/07 प्रतिवेदित किया गया है, जो गलत है। यदि जांच पदाधिकारी उस दिन विक्रेता की दुकान पर जाते, तो सूचना पट्ट पर अंकित अनुज्ञप्ति संख्या 01/08 अवश्य देखते। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पूछे गए कारण पृच्छा में विक्रेता के विरूद्ध आरोप लगाने वाले उपभोक्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण ससमय किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गवई राजनीति एवं आपसी दुश्मनी की वजह से विक्रेता के विरूद्ध किसी व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2201, दिनांक 24.07.2012) में कई कमियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा किए गए कारण पृच्छा मे विक्रेता की अनुज्ञप्ति संख्या गलत अंकित है। साथ ही विक्रेता के विरूद्ध आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख भी नहीं किया गया है, और न ही विक्रेता को उपभोक्ताओं के बयान की प्रति ही उपलब्ध कराई गई है। इस तरह अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट और अपूर्ण है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 14.08.2012 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

23/08/12

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

23/08/12

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 494 /न्या0, दिनांक 25/7/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

25/7/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

24/7/15